रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 4, 1936
No. 621] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 4, 1936

## संस्कृति मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

**सा.का.नि. 839(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा(ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती नियमावली,1973 को जहां तक उसका संबंध राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में वरिष्ठ फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फोटोग्राफर भर्ती नियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ज्येष्ठ फोटोग्राफर | 3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित) अनतुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु. | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br><br>**टिप्पण :** - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी | **आवश्यक :**<br>i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण ;<br>ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम फोटोग्राफी में डिप्लोमा; और<br>iii) डिजिटल प्रलेखन सहित कला संबंधी कार्यों के फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी में प्रमाण-पत्र सहित डिजिटल प्रलेखन सहित कला संबंधी कार्यों के फोटोग्राफी में 3 वर्ष का अनुभव।<br><br>**वांछनीय :**<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला जिसमें फोटोग्राफी एक विषय के रूप में रहा हो, में बैचलर डिग्री।<br>**टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण 2** - अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | 33.33% - संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] और 66.67% - प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति) :**<br><br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–<br><br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या<br><br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड-वेतन 2800 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो या समतुल्य; या<br><br>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड-वेतन 2400 रु. के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष सेवा की हो या समतुल्य; और<br><br>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :-<br><br>**टिप्पण :** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड-वेतन 2400 रु. में ऐसे विभागीय प्रक्षेपक-सह-फोटोग्राफर के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है और यदि विभागीय अभ्यर्थी की उस पद पर नियुक्ति के | समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :<br><br>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय- **अध्यक्ष**<br><br>2. निदेशक या उप-सचिव, संस्कृति मंत्रालय - **सदस्य**<br><br>3. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली - **सदस्य** | संयुक्त पद्धति पर और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) पर भी पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।<br><br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।<br><br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानीय ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

[फा. सं. 17-55/2011-एम-I]

के. के. मित्तल, अपर सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

**G.S.R. 839 (E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Gallery of Modern Art (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as it relates to the posts of Senior Photographer in National Gallery of Modern Art except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Gallery of Modern Art, New Delhi, Senior Photographer Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—**The number of the post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of Post | Number of Post | Classification | Pay band and grade pay or pay scale | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for Direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Photographer | *3 (2014)<br><br>*(Subject to variation dependant on work load) | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial | PB-2 Rs.9300-34800 (Grade Pay Rs. 4200) | Not Appli-cable. | Not exceeding 30 years.<br>(Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh | Essential :<br>(i) Passed Senior Secondary (10+2) School Examination from a recognised Board;<br>(ii) At least Diploma in photography from a recognised institute or university, and<br>(iii) Two years experience of photography of works of arts, including digital documentation or Senior Secondary School Examination pass from a recognised Board with certificate in Photography from recognised institute or university and 3 years experience of photography of works of arts, including digital documentation.<br>Desirable :<br>A Degree of Bachelor of Fine Arts with Photography as one of the subjects from a Recognized University.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Divison of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Staff Selection Commission or Competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a departmental Promotion committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable | 2 years for direct recruits | 33.33 percent by Composite method [Deputation (including short-term contract) plus Promotion] and 66.67 percent by Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment | Composite method (Deputation plus Promotion )<br>Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations :-<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department;<br>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in posts in the Pay Band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or | Group 'B' Departmental Confirmation Committee :<br>1. Director General, National Gallery of Modern Art –Chairman<br>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture -Member<br>3. Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi – Member | Consultation with Union Public Service Commission will be necessary while filling up the post on composite method and also on Deputation (including Short-Term Contact) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | department; and<br>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Col. 7<br>**Note :** The departmental Projectionist-cum-Photographer in PB-1 of Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 2400 with 10 years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>(Period of deputation (Including Short-Term Contact) including the period of deputation (Including Short-Term Contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contact) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).<br>**Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officers prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

[F. No. 17-55/2011-M.I]

K. K. MITTAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.